FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0166 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/06/2026 18:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 21/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 11:21 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/06/2026 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/06/2026 18:48:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** BCMO OFFICE, ASPATAAL PARISAR, ROHAT JILA PALI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): INSAAF KHAN

(b) Father's Name (पिता का नाम): IBRAHIM KHAN

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1984 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ROHAT, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	ROHAT, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVKINANDAN SHARMA		पिता:RAMLAL SHARMA	1. DHUNDHLOD,NAVALGARH,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA
2	HARDIK RAJPUROHIT		पिता:RAJENDRA SINGH RAJPUROHIT	1. 64-A,SUMERPUR ROAD,AADITYA NAGAR, PALI,PALI,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में ,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सा ए सी बी पाली विषय – रिश्वत लेते हुए पकडवाने की कारवाई के लिए रिपोर्ट। श्रीमान जी निवेदन है कि मै इंसाफ खान s/o इब्राहिम खान उम्र 42 वर्ष निवासी गांव रोहट जिला पाली का निवासी हूं मेरी गाडी नं RJ22TA 3874 स्वीफट टूरिस्ट गाडी है। मैने इस गाडी को बीसीएमओ ओफिस रोहट मे 2022 से कान्टेक्ट पर लगा रखी है। मेरी गाडी के कोन्टेक्ट पर लगाने का बिल मार्च 2026 से आज तक बाकी है मेरी गाडी दिनांक 14/06/2026 को शाम 10-30 बजे एक्सीडेंट हो गई थी इसलिए 14/06/2026 गाडी गैरेज मिस्त्री के पास ठीक करवाने के लिए छोड रखी है। मैने मेरी गाडी एक्सीडेंट होने की सूचना बीसीएमओ आफिस रोहट मे दी। उसके बाद बीसीएमओ आफिस से ऐकाउन्टेंट साहब देवकीनंद शर्मा का मेरे पास फोन आया तथा मेरे को मिलने का कहा। मै देवकीनंदन शर्मा से मिला तो उन्होने मेरी गाडी रेगुलर चलाने के लिए मना किया तथा कहा कि रेगुलर चलानी है तो 20,000/-रूपये देने पडेंगें। जिस पर मैने रिक्वेस्ट की तो 20,000/- रूपये रिश्वत के तय किये और रिश्वत राशि 20,000/- बीस हजार रू सोमवार तक देने का कहा। मै मेरे जायज काम के बदले एकाउन्टेंट साहब को 20,000/-रू रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हू। मेरे व एकाउंन्टेंट सा के बीच आपस मे कोई रंजीश नही है तथा कोई रूपये पैसों का उधार भी बकाया नही है रिपोर्ट पर कार्यवाही करावे दिनांक –19-06-2026 प्रार्थी sd इंसाफ खान s/o इब्राहीम खां निवासी गांव रोहट जिला पाली मोबाईल नं कार्यवाही एसीबी दिनांक 19-06-2026 वक्त 04-30 पीएम इस समय दर्ज रहे कि ब्यूरो मुख्यालय के टोल फ्री नंबर 1064 पर रिश्वत राशि मांग के संबंध मे परिवादी श्री इंसाफ खान द्वारा की गई शिकायत के क्रम मे परिवादी श्री इंसाफ खान कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा परिवादी श्री इंसाफ खान ने एक लिखित रिपोर्ट मन अतिरिकत् पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि मै इंसाफ खान s/o इब्राहिम खान उम्र 42 वर्ष निवासी गांव रोहट जिला पाली का निवासी हूं मेरी गाडी नं RJ22TA 3874 स्वीफट टूरिस्ट गाडी है। मैने इस गाडी को बीसीएमओ ओफिस रोहट मे 2022 से कान्टेक्ट पर लगा रखी है। मेरी गाडी के कोन्टेक्ट पर लगाने का बिल मार्च 2026 से आज तक बाकी है मेरी गाडी दिनांक 14/06/2026 को शाम 10-30 बजे एक्सीडेंट हो गई थी इसलिए 14/06/2026 गाडी गैरेज मिस्त्री के पास ठीक करवाने के लिए छोड रखी है। मैने मेरी गाडी एक्सीडेंट होने की सूचना बीसीएमओ आफिस रोहट मे दी। उसके बाद बीसीएमओ आफिस से ऐकाउन्टेंट साहब देवकीनंद शर्मा का मेरे पास फोन आया तथा मेरे को मिलने का कहा। मै देवकीनंदन शर्मा से मिला तो उन्होने मेरी गाडी रेगुलर चलाने के लिए मना किया तथा कहा कि रेगुलर चलानी है तो 20,000/-रूपये देने पडेंगें। जिस पर मैने रिक्वेस्ट की तो 20,000/- रूपये रिश्वत के तय किये और रिश्वत राशि 20,000/- बीस हजार रू सोमवार तक देने का कहा। मै मेरे जायज काम के बदले एकाउन्टेंट साहब को 20,000/-रू रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हू। मेरे व एकाउंन्टेंट सा के बीच आपस मे कोई रंजीश नही है तथा कोई रूपये पैसों का उधार भी बकाया नही है रिपोर्ट पर कार्यवाही करावे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से रिपोर्ट के क्रम मे पुछताछ की गई तो परिवादी ने रिपोर्ट खुद कलमी लिखित होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा रिपोर्ट मे अंकित तथ्य ही पुन बताये। परिवादी ने अपनी रिपोर्ट के साथ स्वयं का आधार कार्ड की फोटो प्रति व गाडी कान्टैक्ट पर लगाने से संबंधित बीसीएमओ कार्यालय रोहट के पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त बीसीएमओ कार्यालय रोहट का पत्र क्रमांक 483 दिनांक 30-03-2026 का अवलोकन किया तो परिवादी इंसाफ खान की उक्त गाडी वितिय वर्ष 2025-26 मे अधिग्रहण पर लगी हुई होना एवं उक्त गाडी की अधिग्रहण अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त होना तथा आपसी सहमति से पुन तीन माह के लिए या नवीन निविदा किये जाने तक अधिग्रहण अवधि बढाने का उल्लेख है। उक्त् पत्र व परिवादी के आधार कार्ड की छायाप्रति रिपोर्ट के संलग्न की गई। परिवादी की रिपोर्ट मे अंकित तथ्य लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि मांग करने से संबंधित होने से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आने के कारण प्रथमत रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने के संबंध मे समझाईस की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री इंसाफ खान ने बताया कि मै कल सुबह एकाउंटेंट साहब से मिलने जाउंगा तथा रिश्वत राशि मांग के संबंध मे वार्ता करूंगा। परिवादी के बताये अनुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कल दिनांक 20-06-2026 को करने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय मे उपस्थित श्री लक्ष्मण दान एएसआई को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

के कक्ष मे तलब कर परिवादी व श्री लक्ष्मण दान एएसआई का आपस मे परिचय करवाया तथा दोनों के मोबाईल नंबर आपस मे आदान प्रदान करवाये। तत्पश्चात परिवादी को बताया कि कल दिनांक 20-06-2026 को श्री लक्ष्मण दान एएसआई आपस से संपर्क कर लेंगें तथा उसके बाद आप रिश्वत राशि मांग के गोपनीय सत्यापन की कारवाई करवाना। तत्पश्चात श्री लक्ष्मण दान एएसआई को निर्देशित किया कि कल दिनांक 20-06-2026 को ब्यूरो स्टाफ के श्री प्रमोद सिह कानि को कार्यालय हाजा का रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी से संपर्क कर रिश्वत राशि मांग के गोपनीय सत्यापन करवाने की कारवाई करावे। ततपश्चात परिवादी श्री इंसाफ खान को गोपनीयता की समझाईस कर आवश्यक हिदायत कर वक्त 05-30 पीएम पर उसकी सकूनत के लिए रवाना किया। तत्पश्चात दिनांक- 20-06-2026 समय- 11-00 एएम पर श्री लक्ष्मण दान एएसआई व श्री प्रमोद सिह कानि नंबर 304 को कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री इंसाफ खान से संपर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कारवाई के लिए रोहट की तरफ निजी वाहन से रवाना किया। तत्पश्चात समय- 03-20 पीएम पर श्री लक्ष्मण दान एएसआई व श्री प्रमोद सिह कानि नंबर 304 उपरोक्त फिकरा के गये हुए रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। श्री प्रमोद सिह कानि ने कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पूर्व का सूपूर्द शुदा बंद हालात मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मै एवं श्री लक्ष्मण दान एएसआई साहब कार्यालय से रवाना होकर कस्बा रोहट से बाहर जोधपुर की तरफ जाने वाली रोड पर गोपनीय स्थान पर पहूंचे तथा परिवादी से मोबाईल पर संपर्क किया तथा परिवादी को गोपनीय स्थान पर आने का कहा। जिस पर कुछ समय बाद परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से हमारे पास आया। उसके बाद परिवादी को डिजिटल वायस रिकार्डर को बंद चालू करने एवं रिकार्डिंग करने की प्रक्रिया के बारे मे समझाईस की गई तथा एसओ की उपस्थिती के बारे मे परिवादी से मालूमात करवाया तो परिवादी ने एसओ के मोबाईल पर वार्ता की तो एसओ ने स्वयं का बीसीएमओ कार्यालय मे ही अपने निवास पर होना बताया तथा परिवादी को घंटे भर बाद आने का कहा, जिस पर हम तीनो अपनी उपस्थिती छुपाते गोपनीय स्थान पर ही मुकीम रहे। तत्पश्चात करीबन आधा-पौन घंटा इन्तजार करने के बाद परिवादी ने पुन एसओ को फोन किया तो एसओ ने परिवादी को आने का कहा, जिस पर कुछ समय पश्चात परिवादी को डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर रिकार्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के लिए एसओ से मिलने बीएसीएमओ कार्यालय रोहट के लिए उसकी निजी मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा परिवादी के पीछे पीछे मै व श्री लक्ष्मण दान एएसआई साहब भी निजी वाहन से रवाना हुए। कुछ समय बाद परिवादी अपनी मोटसाईकिल से बीसीएमओ कार्यालय रोहट मे प्रवेश हुआ जिसको मैने व एएसआई साहब ने भी अपने वाहन मे बैठे हुए देखा। ततपश्चात हम दोनो अपने वाहन को गोपनीय स्थान पर खडा कर परिवादी के वापस आने के इंतजार मे मुकीम रहे। कुछ समय बाद परिवादी रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबंधी वार्ता एसओ से कर हमारे से सम्पर्क कर गोपनीय स्थान पर हमारे पास आया तथा पूर्व मे सुपुर्द शुदा डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू हालत मे मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा। उसके बाद परिवादी ने बताया कि मै आपके पास से बीसीएमओ ऑफिस गया तो ऑफिस आज छुटटी होने के कारण बन्द था तथा देवकीनंदन जी ऑफिस के उपर ही निवास करते है तो मैने फोन करके देवकीनंदन जी को नीचे बुलाया जिस वो नीचे आये तब मैने उनसे रिश्वत राशि के संबंध मे वार्ता की तो उन्होने मुझे पूर्व मे कहे अनुसार ही रिश्वत राशि के 20,000/- रूपये देने के लिये कहा तथा 20,000/- रूपये बीसीएमओ साहब के लिये उनके कहे अनुसार रिश्वत राशि की मांग की तथा वार्ता करने के बाद मै बीसीएमओ ऑफिस से रवाना होकर आपके पास आया हूं। ततपश्चात परिवादी ने बताया कि अभी तो मेरे घर पर जरूरी काम है तथा मै कल सुबह जल्दी रिश्वत मे दिये जाने वाले 20,000/- रूपयों की व्यवस्था एसीबी ऑफिस पाली आ जाउंगा, जिस पर एएसआई साहब ने आपसे जरिये वाटसअप कॉल वार्ता कर हालात बताये तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था के लिये रोहट मे ही छोडा तथा मै व एएसआई साहब रोहट से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आ गये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिकॉर्डर चालू कर वार्ता को सुना तो वार्ता मे एसओ श्री देवकीनंदन द्वारा परिवादी से बीसीएमओ के कहे अनुसार उनके लिये 20,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग करने के तथ्य पाये गये तथा मांग सत्यापन वार्ता के विश्लेषण से प्रथमत एसओ श्री देवकीनंदन द्वारा बीसीएमओ के लिये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत राशि प्राप्त् करने के लिये मध्यस्थता की भूमिका होना प्रकट होती है तथा इस संबंध मे परिवादी के उपस्थित आने पर बीसीएमओ से रिश्वत राशि मांग की पुष्टि करवाया जाना आवश्यक होने से इस संबंध मे आवश्यक कारवाई अमल मे लाई जावेगी। ततपश्चत वायस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता के संबंध मे अवलोकन करने पर वार्ता तकनीकि कारणो से रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड नही होकर सीधे ही रिकॉर्डर की इनबिल्ट मैमोरी मे ही सेव हो गई तथा उक्त् वार्ता अहम साक्ष्य होने से मूल रिकार्डर को ही जब्त कर बतौर वजह सबूत रखा जायेगा। ततपश्चात श्री प्रमोदसिंह कानि0 से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्डर को कार्यालय के लैपटाप से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को कॉपी करवाया जाकर रिकॉर्डर को पुन लैपटाप से निकालकर बन्द कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा। तत्पश्चात श्री प्रमोदसिंह कानि0 को निर्देशित किया कि कार्यालय के लेपटौप मे सेव रिकार्ड वार्ता को सुन सुन कर वार्ता के शब्दो का टंकण कम्प्युटर के माध्यम से करे तथा बाद टंकण टंकणिय शब्दों का प्रिंट निकालकर मन अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक को पेश करे तथा रिकार्ड वार्ता के गोपनीयता की हिदायत की गई। मांग सत्यापन वार्ता के अवलोकन से अन्य लोक सेवक बीसीएमओ की भूमिका के संबंध मे सत्यापन पश्चात बीसीएमओ रोहट को भी दस्तयाब करने के लिए एक और अधिकारी के नेत्रत्व मे ब्यूरो टीम की आवश्यकता होने से टीम के गठन हेतु श्रीमान उप महानिरीक्षक महोदय भ्र नि ब्यूरो जोधपुर को निवेदन किया गया। तत्पश्चात समय- 04-30 पीएम पर दर्ज रहे कल दिनांक 21-06-2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह की आवशयकता होने के कारण स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु आज दिनांक को शनिवारिय अवकाश के कारण सरकारी कार्यालय बन्द होने से गवाह उपलब्ध करवाने के लिये उप खण्ड अधिकारी पाली के नाम पत्र जारी कर जरिये वाटसअप कॉल वार्ता की गई तो एसडीएम साहब ने शीघ्र ही दो गवाह को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय भेजने का आश्वासन दिया। ततपश्चात कार्यालय हाजा के समस्त स्टाफ को आयोजित ट्रेप कार्यवाही हेतु कल दिनांक 21-06-2026 को सुबह जल्दी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के लिये पाबंद किया गया। तत्पश्चात समय- 05-40 पीएम पर परिवादी श्री इंसाफ खान कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया जिसे मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता के संबंध मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि आज दिनांक 20-06-2026 को आपके कार्यालय के स्टाफ श्री प्रमोद जी से रिकार्डर लेकर श्री देवकीनंदन जी से मिलने बीसीएमओ कार्यालय गया तो बीसीएमओ कार्यालय अवकाश के कारण बंद था तथा देवकीनंदन शर्मा जी बीसीएमओ आफिस के उपर ही रहते है इसलिए मैने उनको फोन कर मिलने के लिए नीचे बुलाया तो नीचे आये तथा आफिस खोला उसके बाद मै उनसे मिला और मेरी गाडी रेगुलर रखने के बारे मे बात की तो उन्होने गाडी को रेगुलर रखने के बदले बीसीएमओ साहब को कहे अनुसार उनके लिए 20,000/- रूपये सोमवार तक देने के लिए कहा मेरे द्वारा उनको कुछ कम करने के लिए रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होने रिश्वत राशि बीस हजार रूपये से कम नही किये । तत्पश्चात रिकार्डिंग वार्ता मे देवकीनंदन शर्मा द्वारा बीसीएमओ के कहे अनुसार उसके लिए रिश्वत के रूपये मांगने के तथ्य आने के क्रम मे बीसीएमओ से भी मांग का सत्यापन करवाये जाने हेतु परिवादी से कहा तो परिवादी ने कहा कि बीसीएमओ साहब डायरेक्ट मेरे से इस बारे मे वार्ता नही करेंगें, देवकीनंदन एकाउंटेंट साहब ही रिश्वत राशि के बारे मे वार्ता कर रहे है तथा देवकीनंदन एकाउंटेंट साहब ही मेरे से रिश्वत के रूपये लेंगें। परिवादी के बताये तथ्यों रिश्वत राशि मांग के क्रम मे बीसीएमओ रोहट से मांग सत्यापन करवाया जाना संभव नही होने से बीसीएमओ की संलिप्तता के संबंध मे रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात श्री देवकीनंदन से इस संबंध मे बीसीएमओ के मोबाईल पर वार्ता करवायी जाकर पुष्टि करवायी जाएगी तत्पश्चात ही उजागर हुए साक्षयों के क्रम मे आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। तत्पश्चात परिवादी से बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित के निवास के बारे मे पुछने पर परिवादी ने बताया कि बीसीएमओ साहब पाली मे टैगोर नगर मे उनके खुद के मकान मे रहते है मै उनका मकान जानता हूं जिस पर ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई को परिवादी के साथ जाकर बीसीएमओ के निवास स्थान की लोकेशन ज्ञात करने के लिए रवाना किया। तत्पश्चात समय- 06-50 पीएम पर श्री लक्ष्मण दान एएसआई व परिवादी श्री इंसाफ खान निर्देशानुसार बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित के निवास स्थान की लोकेशन ज्ञात कर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। परिवादी श्री इंसाफ खान को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि बीस हजार रूपये साथ लेकर कल दिनांक 21-06-2026 को सुबह जल्दी 06-00 एएम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के लिए पाबंद कर एवं गोपनीयता की हिदायत कर उसकी सकूनत के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय- 06-55 पीएम पर उपखंड अधिकारी पाली को गवाह उपलब्ध करवाने हेतु दी गई सुचना के क्रम मे श्री हितेश चारण पटवारी व श्री ब्रजपाल सिह पटवारी स्वतंत्र गवाह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये दोनो गवाहान को कल दिनांक 21-06-2026 को आयोजित गोपनीय कारवाई मे स्वतंत्र गवाह रहने के लिए पाबंद कर कल दिनांक 21-06-2026 को सुबह जल्दी 06-00 एएम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने के लिए पाबंद कर दोनो गवाहान को अपनी अपनी सकूनत के लिए रवाना किया। तत्पश्चात समय- 08-30 पीएम पर श्री प्रमोदसिंह कानि0 ने निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का टंकण कर टंकण की हार्ड कापी का प्रिंट निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टंकणीय शब्दो का मिलान रिकार्ड वार्ता से कर टंकण की साफट कापी लैपटाप मे सेव रखवाई गई तथा गवाह व परिवादी के उपस्थित ब्यूरो कार्यालय हाजा आने पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के टंकणिय शब्दों का मिलान कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार कि जावेगी। तत्पश्चात दिनांक- 21-06-2026 समय- 06-50 एएम पर निर्देशानुसार कार्यालय हाजा का समस्त स्टाफ कार्यालय हाजा पर उपस्थित है तथा परिवादी श्री इंसाफ खान व पाबंद शुदा गवाह श्री हितेश चारण पटवारी एवं श्री ब्रजपाल सिह पटवारी भी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान का परिचय प्राप्त करने पर अपना अपना नाम श्री ब्रजपालसिह पुत्र श्री राणू सिह जाति रावणा राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी 1240 सैन्चूरियन गार्डन रोड सरकारी स्कूल के पास नया बस स्टैंड पाली पुलिस थाना कोतवाली, जिला पाली हाल पटवारी, पटवार हल्का खैरवा द्वितीय जिला पाली व श्री हितेश चारण पुत्र श्री हिंगलाज दान चारण जाति चारण उम्र 28 वर्ष निवासी 269, टैगोर नगर पाली , पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली राज हाल पटवारी, पटवार मंडल आईचिया जिला पाली बताया। तत्पश्चात उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री इंसाफ खान का आपस मे परिचय करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट गवाहान को पढाई गई तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन से संबंधित वार्ता के मुख्य मुख्य अंश लैपटाप के माध्यम से गवाहान को सुनाये गये। तत्पश्चात गवाहान ने

गोपनीय कार्यवाही मे स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमती दी तथा परिवादी की रिपोर्ट पर अपने अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय- 07-25 एएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाना शेष होने से उक्त रिकार्डिंग वार्ता को पूर्व मे शब्द ब शब्द टंकण करवाया जा चुका है जो कार्यालय हाजा के लेपटाप मे सेव है तथा उक्त वार्ता का रिकार्डर भी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित है। उक्त मांग सत्यापन वार्ता के टंकणिय शब्दो का मिलान कार्यालय के अन्य लैपटाप से रिकार्डर कनेक्ट कर साफटवेयर की मदद से लैपटाप के इनबिल्ड स्पीकर से सुन सुन कर समझ समझ कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब करना प्रारंभ किया गया। जो वक्त 08-30 एएम तक पूर्ण कर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। इस वार्ता को दो पैन ड्राईव मे डालकर डब कापी तेयार की गई। मांग सत्यापन वार्ता की हेस वेल्यु निकाली गई तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मांग सत्यापन वार्ता के मूल रिकार्डर को लैपटाप से निकालकर कपडे की थैली मे शील्ड किया गया तथा दोनो डब पैन ड्राईव को खुली हालत मे रखा जाकर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय- 08-00 एएम पर उच्चधिकारीयों के निर्देशानुसार श्री किशन सिह उप अधीक्षक पुलिस भ्र नि ब्यूरो जोधुपर शहर मय टीम के कार्यालय हाजा पर गोपनीय कारवाई के क्रम मे उपस्थित आये। श्री किशन सिह उप अधीक्षक पुलिस को आगामी गोपनीय कारवाई के संबंध मे हालात बताये। तत्पश्चात समय- 08-35 एएम पर दर्ज रहे आयोजित गोपनीय कारवाई मे दो और स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से उपखंड अधिकारी पाली के नाम तहरीर जारी कर गवाहान उपलब्ध करवाने के लिए श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली से जरिये वाटसअप सूचना कर दो गवाह भिजवाने के लिए निवेदन किया गया। तत्पश्चात समय- 09-25 एएम पर दर्ज रहे गवाह उपलब्ध करवाने बाबत श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर को निवेदन किया गया था जिसकी पालना मे पाबंद गवाह श्री चेतन मोबारसा वरिष्ट सहायक कलेक्टैट कार्यालय पाली व श्री सवाई सिह पटवारी पटवार हल्का खेतावास कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये दोनो गवाहान को श्री किशन सिह उप अधीक्षक पुलिस के साथ गोपनीय कारवाई मे शामिल रहने के लिए श्री किशन सिह उप अधीक्षक पुलिस के जिम्मे किये गये। तत्पश्चात समय- 09-30 एएम पर परिवादी श्री इंसाफ खान ने दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिती मे रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 20,000/- रूपये जो 500-500 सौ रूपये के कुल 40 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिश्वत राशि के चालीस हजार रूपये 500-500 रूपयो के कुल 40 नोटों के नंबर का विवरण निम्नानुसार है क्रम संख्यां - नोट का विवरण- नोटों के सीरियल नंबर 1 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0TQ656750, 2- एक नोट पांच सौ रूपये का 9UG672030, 3 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6EV932097,4 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3EP887039, 5- एक नोट पांच सौ रूपये का 9AP310320, 6 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5UB277138, 7- एक नोट पांच सौ रूपये का 2RH952387, 8 -एक नोट पांच सौ रूपये का 9ET028533, 9- एक नोट पांच सौ रूपये का 4TN860411, 10- एक नोट पांच सौ रूपये का 1NE974397, 11- एक नोट पांच सौ रूपये का 3PD964725, 12- एक नोट पांच सौ रूपये का 5PM214610, 13- एक नोट पांच सौ रूपये का 5KQ156453, 14 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4DW397344, 15-एक नोट पांच सौ रूपये का 0VK985484, 16- एक नोट पांच सौ रूपये का 5DF309992, 17- एक नोट पांच सौ रूपये का 1ET883021, 18- एक नोट पांच सौ रूपये का 3PB222100, 19 -एक नोट पांच सौ रूपये का 4CU513390, 20- एक नोट पांच सौ रूपये का 3LK149440, 21- एक नोट पांच सौ रूपये का 5EL956056, 22- एक नोट पांच सौ रूपये का 9LP501358, 23- एक नोट पांच सौ रूपये का 9PA163587, 24 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0WA651367, 25- एक नोट पांच सौ रूपये का 0AD515530, 26 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2BG406436, 27- एक नोट पांच सौ रूपये का 9UH445918, 28-एक नोट पांच सौ रूपये का 1ER931328, 29-एक नोट पांच सौ रूपये का 3LN191079, 30-एक नोट पांच सौ रूपये का 6QM572248, 31-एक नोट पांच सौ रूपये का 6CG852333, 32- एक नोट पांच सौ रूपये का 6CQ324711, 33 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1EF344147, 34- एक नोट पांच सौ रूपये का 9SR126420, 35-एक नोट पांच सौ रूपये का 0GT651601, 36-एक नोट पांच सौ रूपये का 4QL426828, 37- एक नोट पांच सौ रूपये का 1DL607571, 38-एक नोट पांच सौ रूपये का 3LU213445, 39- एक नोट पांच सौ रूपये का 9GA449165, 40 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0NN107711, उपरोक्त नोटों के फिनोफथलीन पाउडर लगवाने हेतु कार्यालय हाजा के मालखाना से श्री पूनाराम कानि न 165 से फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर श्री पूनाराम कानि को परिवादी द्वारा पेश किये गये रश्वित राशि के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोटों पर उक्त फिनोफथलीन पाउडर के डिब्बे मे से फिनोफथलीन पाउडर निकालकर एक अखबार पर रखवाया जाकर श्री पूनाराम कानि से ही रिश्वत राशि के नोटों पर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री इंसाफ खान की जामा तलाशी गवाह श्री ब्रजपाल सिह से लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपति जनक राशि, वस्तु एवं दस्तावेज इत्यादी नही रहने दिए गये तथा परिवादी के पास उसका मोबाईल उसके पास ही रहने दिया गया। तत्पश्चात फिनोफथलीन पाउडर लगे रिश्वत राशि 20,000/- रूपये के नोटों को परिवादी श्री इंसाफ खान के पहने हुए पेंट की आगे की बांयी जेब मे श्री पूनाराम कानि से ही रखवाये गये। परिवादी श्री इंसाफ खान को समझाईस की गई कि रिश्वत राशि को हाथ नही लगावे व तथा एसओ श्री

देवकीनंदन शर्मा एकाउंटेंट द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकाल कर उसे देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नही मिलावे अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोडकर नमस्कार/अभिवादन करे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि श्री देवकीनंदन शर्मा एकाउंटेंट द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद वह रिश्वत राशि को कहा रखता है अथवा छुपाता है इस बात का विशेष ध्यान रखे। रिश्वत राशि श्री देवकीनंदन शर्मा एकाउंटेंट द्वारा प्राप्त करने के पश्चात मन देरावर सिह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नंबर पर काल या मिस काल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स मे से प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास मंगवाया जाकर गिलास मे साफ पानी भरवाया गया तथा उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घौल तैयार करवाया जाकर गवाह व परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरिन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त रंगहीन घोल मे रिश्वत राशि के नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री पूनाराम कानि के हाथों की अंगुलियों व अंगुठें को घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन ने भी गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया तत्पश्चात सभी हाजरिन को समझाईस की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के नोटों के हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल मे हाथ धुलवाने पर घौल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे मे सभी को भली भांति समझाया गया तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को तोडकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोटों के फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफथलीन पाउडर का डिब्बा श्री पूनाराम कानि के पास से पुन कार्यालय हाजा के मालखाना मे रखवाया गया तथा श्री पूनाराम कानि को इस ट्रेप कार्यवाही से अलग रखा जाकर कार्यालय हाजा पर ही निगरानी हेतु छोडा गया। तत्पश्चात समस्त् ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथों व ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग मे ली जाने वाली समस्त सामग्री आदि को भी साफ पानी व साबुन से दो दो बार घुलवाया जाकर पुन ट्रेप बाक्स मे रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस मे जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु , दस्तावेज, एवं राशि आदि नही रहने दी गई तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल के सदस्य एवं गवाहान का अपना अपना मोबाईल स्वयं के पास रहने दिया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत राशि लेन देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। इस कार्यवाही की फर्द पेश्कशी रिश्वत राशि सुपुर्दगी एवं दृ्ष्टांत फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर प्रथक से तैयार कर फर्द मे विस्त्रत विवरण अंकित कर फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 10-20 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई, श्री भवानी सिह हैड कानि, व स्वतंत्र गवाह श्री ब्रजपाल सिह, परिवादी श्री इंसाफ खान मय कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड व कारवाई से संबंधित दसतावेजात के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन एवं श्री कुलदीप सिह कानि, श्री मनोहर लाल एएओ, श्रीप्रमोद सिह कानि व स्पतंत्र गवाह श्री हितेश चारण श्री कुलदीप सिह के निजी वाहन एवं श्री गोविंद वर्मा एएसआई, श्री नारायण सिह कानि चालक सरकारी वाहन मय ट्रेप बोक्स लैपटाप प्रिंटर विडियो रिकार्डर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही से संबंधित आवश्यक सामग्री व उपकरण सहित कस्बा रोहट की तरफ रवाना हुए तथा श्री पूनाराम कानि को कार्यालय की निगरानी हेतु कार्यालय हाजा पर ही छोडा गया। तत्पश्चात समय- 11-10 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त फिकरा के हमराहयान ट्रेप दल के सदस्यों एवं वाहनों सहित कस्बा रोहट मे बस स्टैंड के पास पहुंचा तथा रास्ते मे गाडी मे ही थोडी देर पहले परिवादी से एसओ श्री देवकीनंदन शर्मा की उपस्थिती के बारे काल करवाकर मालूमात करवाया तो एसओ कार्यालय मे ही अपने निवास मे होना ज्ञात हुआ। परिवादी श्री इंसाफ खान को कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द कर रिश्वत राशि आदान प्रदान के लिए बीसीएमओ कार्यालय रोहट के लिए वक्त 11-15 एएम पर रवाना किया गया तथा ब्यूरो टीम के तीनो वाहनों को बीसीएमओ कार्यालय के आस पास ही गोपनीय स्थान पर मुकीम करवाया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मण दान एएसआई, श्री भवानी सिह हैड कानि व स्वतंत्र गवाह श्री ब्रजपाल सिह अस्पताल परिसर मे सरकारी क्वार्टरों के पास अलग अलग उपस्थित रहकर गोपनीय स्थान पर परिवादी के इशारे के इंतजार मे मुकीम रहे तथा शेष ब्यूरो स्टाफ व स्वतंत्र गवाह को भी अस्पताल परिसर के आस पास ही मुकीम रहने के लिए निर्देशित किया। तत्पश्चात वक्त 11-21 एएम पर परिवादी श्री इंसाफ खान ने हास्पीटल के अंदर सरकारी क्वार्टरों के सामने दो मंजिला नये भवन के पीछे वाले गेट से बाहर आकर रिश्वत राशि लेन-देन का पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर किया जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व हमराह श्री लक्ष्मण दान एएसआई ने देखा। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मण दान एएसआई सरकारी क्वार्टरों के सामने गोपनीय ईशारे के इंतजार मे मुकीम स्थान से रवाना होकर नये भवन के पीछे वाले गेट के पास पहूंचे तो परिवादी श्री इंसाफ खान ने बताया कि एकाउंटेंट साहब उपर है जिन्होने मेरे से रूपये लेकर गिनकर आफिस मे रखी टेबल के उपर वाली दराज मे रखे है तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री इंसाफ खान से कार्यालय हाजा का डिजिटल रिकार्डर पूर्व मे दिया हुआ प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे मे सुरक्षित

रखा तथा अन्य ट्रेप दल के सदस्यों को भी रिश्वत राशि लेन देन संबंधि सूचना कर शीघ्र ही मुकीम स्थान से रवाना होकर अस्पताल परिसर मे आने के लिए निर्देशित किया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मण दान एएसआई नये भवन के बाहर से अंदर प्रवेश होकर बरामदे मे बनी सीढीयां से उपर की तरफ गये तो उपरी प्रथम मंजिल पर बने भवन के प्रवेश होने के लिए प्रवेश द्वारा पर एक व्यक्ति गेट के ताला लगाता हुआ दिखा जिसको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिचय पूछा तो अपना नाम देवकीनंदन शर्मा होना बताया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री देवकीनंदन शर्मा से परिवादी श्री इंसाफ खान से अभी अभी ली गई रिश्वत राशि 20,000 रूपयों के बारे मे पुछा तो श्री देवकीनंदन ने बताया कि इंसाफ अभी आया था तथा इसने मुझे 20,000 रूपये दिये थे जो इसी कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखे है। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रथम मंजिल के प्रवेश द्वार से एसओ श्री देवकीनंदन शर्मा को दस्तयाब कर हमराह श्री लक्ष्मण दान एएसआई के कार्यालय कक्ष मे पहूंचे। इसी दौरान ट्रेप पार्टी के अन्य सदस्य ब्यूरो स्टाफ श्री भवानी सिह हैड कानि, स्वतंत्र गवाह श्री ब्रजपाल सिह, ब्यूरो स्टाफ श्री प्रमोद सिह कानि, श्री मनोहर लाल शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वतंत्र गवाह श्री हितेश चारण भी निदे्रशानुसार अस्पताल परिसर मे बने नये भवन के प्रथम मंजिल पर पहूंचे। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने एसओ श्री देवकीनंदन शर्मा को अपना व हमराहयान ब्यूरो स्टाफ व स्वतंत्र गवाह का परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत करवाया तत्पश्चात श्री देवकीनंदन शर्मा को परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री देवकीनंदन शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 48 साल निवासी,गांव डूंडलोद, तहसील नवलगढ जिला झुझूनूं राज हाल लेखासहायक (संविदाकर्मी) बीसीएमओ कार्यालय रोहट जिला पाली राज होना बताया साथ ही बताया कि पिछले करीब 18 वर्ष से संविदा कर्मी लेखा सहायक के रूप मे बीसीएमओ कार्यालय रोहट जिला पाली मे कार्यरत होना बताया। तत्पश्चात श्री देवकीनंदन शर्मा को अस्पताल परिसर मे स्थित नये भवन के बारे मे पूछने पर बताया कि यह भवन बीपीएचयू कार्यालय का है जो अभी थोडे दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है तथा करीब चार पांच दिन पहले ही इसमे बीसीएमओ साहब श्री हार्दिक राजपुरोहित ने अपना कार्यालय कक्ष इस रूम को बनाया है जिसमे अपनी टेबल कुर्सी स्थापित की है। तत्पश्चात श्री देवकीनंदन शर्मा को परिवादी श्री इंसाफ खान के जानने के बारे मे पुछा तो श्री देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि मै इन्हे जानता हूं यह इंसाफ खान है इसकी गाडी बीसीएमओ कार्यालय मे लगा रखी है यह अभी अभी मेरे पास आया था। तत्पश्चात श्री देवकीनंदन शर्मा को परिवादी श्री इंसाफ खान से ली गई रिश्वत राशि के बारे मे पुछने पर बताया कि मैने इनसे कोई रिश्वत राशि नही ली है इसने मुझे जबरदस्ती देने की कौशिश की तथा उसके बाद टेबल की दराज मे रखे है जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री इंसाफ खान ने एसओ श्री देवकीनंदन शर्मा की बात का खंडन करते हुए बताया कि श्री देवकीनंदन शर्मा झूठ बोल रहे है कल इन्होने मेरी गाडी का कान्टेक्ट रेगुलर रखने के लिए बीसीएमओ साहब को देने के नाम पर मेरे से 20,000/-रूपये मांगे थे जो आज मेरे द्वारा इनको देने पर इन्होने पहले मेरे से टेबल पर रखवाये उसके बाद इनको मेरे द्वारा गिनने का कहने पर इन्होने अपने हाथों से गिनकर टेबल की उपरी दराज मे रखे है। तत्पश्चात कार्यालय कक्ष मे रखी टेबल की उपरी दराज को खोलकर देखा गया तो दराज मे पांच पांच सौ रूपयों का एक बंडल रखा हुआ होना पाया गया। परिवादी श्री इंसाफ खान द्वारा रिश्वत राशि मांग की रिपोर्ट के क्रम मे कल दिनांक 20-06-2026 को रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया था जिसमे एसओ श्री देवकीनंदन द्वारा रिश्वत राशि के 20,000/-रूपये बीसीएमओ साहब के कहे अनुसार उनके लिए लिये जाने की वार्ता प्रकट होने से एसओ श्री देवकीनंदन शर्मा द्वारा आज दिनांक 21-06-2026 को दौराने कारवाई रिश्वत राशि के नंबरी नोट परिवादी श्री इंसाफ खान से प्राप्त कर बीसीएमओ साहब के इस कार्यालय कक्ष मे रखे है तथा इस राशि के संबंध मे बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित से भी सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से एसओ श्री देवकीनंदन शर्मा से श्री हार्दिक राजपुरोहित के मोबाईल पर वार्ता करवाई जाकर रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध मे सहमति लिए जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात श्री देवकीनंदन शर्मा के मोबाईल के कान्टैक्ट लिस्ट मे सेव श्री हार्दिक राजपुरोहित बीसीएमओ के मोबाईल नंबर पर वाटसअप काल कर वार्ता करवाई तथा श्री देवकीनंदन ने परिवादी श्री इंसाफ खान से ली गई रिश्वत राशि 20,000/- रूपयों की वार्ता की तो बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित ने अपनी सहमति प्रकट की। एसओ श्री देवकीनंदन व बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित के बीच करवाई गई इस वार्ता को भी कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया तथा कार्यालय के मोबाईल मे विडियो/आडियो रिकार्डिंग भी की गई। ततपश्चात बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित द्वारा भी रिश्वत राशि की सहमति देने से श्री हार्दिक राजपुरोहित को दस्तयाब करने के लिए अन्य ब्यूरो टीम श्री किशन सिह उप अधीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। एसओ श्री देवकीनंदन द्वारा परिवादी श्री इंसाफ खान से रिश्वत राशि अपने हाथों से गिनकर टेबल की उपरी दराज मे रखने से एसओ के हाथों एवं टेबल की दराज का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से अग्रिम हाथ धोवन की कारवाई करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान निर्देशानुसार ब्यूरो चौकी का अन्य स्टाफ श्री गोविंद वर्मा एएसआई ,श्री नारायण सिह कानि चालक मय सरकारी वाहन एवं श्री कुलदीप सिह कानि निजी वाहन के नियत स्थान से निदे्रशानुसार अस्पताल परिसर मे बने नये भवन के प्रथम मंजिल पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आये। तत्पश्चात ट्रेप कारवाई से संबंधित आगे की कारवाई संपादन हेतु हमराह वाहनों मे से हमराह लाये आवश्यक सामग्री, उपकरण, विडियो रिकार्डर, ट्रेप

बाक्स इत्यादी मंगवाये जाकर अस्पताल परिसर के नये भवन के प्रथम मंजिल पर स्थित बीसीएमओ कार्यालय कक्ष मे आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा के हाथ धोवन की कारवाई वक्त 11-50 एएम पर प्रारंभ् करते हुए इस कार्यवाही की विडियो ग्राफी हेतु श्री कुलदीप सिह कानि को निर्देशित कर कार्यालय हाजा का विडियो रिकार्डर जिसमे नया मेमोरी कार्ड डालकर विडियो रिकार्डर चालू करवाया गया तथा प्रक्रिया अनुसार हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए हमरा लाये ट्रेपबाक्स मे से प्लास्टिक के बडे पारदर्शी दो गिलास निकालकर दोनो गिलासों मे पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा उक्त दोनो गिलास मे एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त दोनो गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थितगण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल अलग अलग गिलास के रंगहीन घोल मे श्री देवकीनंदन शर्मा के अलग अलग हाथ की अंगुलिया व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर दोनो हाथों का धोवन गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित गण ने भी दोनो धोवन को गुलाबी होना स्वीकार किया उक्त दोनो हाथ के धोवन को अलग अलग कांच की चार शीशियों मे आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर अलग अलग हाथों का विवरण व कारवाई का विवरण अंकित किया जाकर मार्क RH -1 व RH -2 तथा LH -1 व LH -2 अंकित किया गया तथा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर चारो शीशियों को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा द्वारा परिवादी श्री इंसाफ खान से रिश्वत राशि प्राप्त कर गिनकर टेबल की उपरी दराज मे रखी होने से उक्त राशि को उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री हितेश चारण से निकलवाई जाकर बरामद शुदा संपूर्ण् रिश्वत राशि के नोटो के नंबरों का मिलान फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नंबरो का मिलान हुबहु होना पाया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्यां - नोट का विवरण- नोटों के सीरियल नंबर 1 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0TQ656750, 2- एक नोट पांच सौ रूपये का 9UG672030, 3 -एक नोट पांच सौ रूपये का 6EV932097, 4 -एक नोट पांच सौ रूपये का 3EP887039, 5- एक नोट पांच सौ रूपये का 9AP310320, 6 -एक नोट पांच सौ रूपये का 5UB277138, 7- एक नोट पांच सौ रूपये का 2RH952387, 8 -एक नोट पांच सौ रूपये का 9ET028533, 9- एक नोट पांच सौ रूपये का 4TN860411, 10- एक नोट पांच सौ रूपये का 1NE974397, 11- एक नोट पांच सौ रूपये का 3PD964725, 12- एक नोट पांच सौ रूपये का 5PM214610, 13- एक नोट पांच सौ रूपये का 5KQ156453, 14 - एक नोट पांच सौ रूपये का 4DW397344, 15-एक नोट पांच सौ रूपये का 0VK985484, 16- एक नोट पांच सौ रूपये का 5DF309992, 17- एक नोट पांच सौ रूपये का 1ET883021, 18- एक नोट पांच सौ रूपये का 3PB222100, 19 - एक नोट पांच सौ रूपये का 4CU513390, 20- एक नोट पांच सौ रूपये का 3LK149440, 21- एक नोट पांच सौ रूपये का 5EL956056, 22- एक नोट पांच सौ रूपये का 9LP501358, 23- एक नोट पांच सौ रूपये का 9PA163587, 24 - एक नोट पांच सौ रूपये का 0WA651367, 25- एक नोट पांच सौ रूपये का 0AD515530, 26 -एक नोट पांच सौ रूपये का 2BG406436, 27-एक नोट पांच सौ रूपये का 9UH445918, 28-एक नोट पांच सौ रूपये का 1ER931328, 29- एक नोट पांच सौ रूपये का 3LN191079, 30-एक नोट पांच सौ रूपये का 6QM572248, 31-एक नोट पांच सौ रूपये का 6CG852333, 32- एक नोट पांच सौ रूपये का 6CQ324711, 33 -एक नोट पांच सौ रूपये का 1EF344147, 34- एक नोट पांच सौ रूपये का 9SR126420, 35-एक नोट पांच सौ रूपये का 0GT651601, 36-एक नोट पांच सौ रूपये का 4QL426828, 37-एक नोट पांच सौ रूपये का 1DL607571, 38-एक नोट पांच सौ रूपये का 3LU213445, 39- एक नोट पांच सौ रूपये का 9GA449165, 40 -एक नोट पांच सौ रूपये का 0NN107711 है। उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि 20,000/- रूपये के नंबरी नोटों को कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त लिफाफे को सफेद कपडे की एक थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क- R अंकित किया गया तथा थैली पर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात रिश्वत राशि बरामदगी स्थल टेबल की उपरी दराज का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से प्लास्टिक के बडे पारदर्शी डिस्पोजल के एक गिलास मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे उपस्थितगण ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे सफेद कपडे की चिंदी डुबोकर टेबल की उपरी दराज के अंदर घुमाकर रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित गण ने भी गिलास के घोल को गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त घौल को अलग अलग कांच की दो शिशियों मे आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर चिटों पर कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाकर मार्क D-1 व D -2 अंकित किया जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात टेबल की उपरी दराज के धोवन हेतु उपयोग मे ली गई कपडे की चिंदी को कपडे की थैली मे सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क- D अंकित कर संबंधित गण के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात उक्त स्थान पर लाईट की व्यवस्था नही होने से ट्रेप कारवाई से संबंधित अग्रिम कारवाई फर्द बरामदगी आदि कारवाई पुलिस थाना रोहट मे करने का निर्णय लिया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दस्तायाबशुदा आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा व समस्त ट्रेप दल के सदस्यों एवं परिवादी श्री इंसाफ खान सहित व कारवाई से संबंधित जब्तशुदा धोवन की शिशिया, रिश्वत राशि एवं अन्य कारवाई से संबंधित जब्तशुदा आईटम् व ट्रेप कारवाई से संबंधित समस्त उपकरण व ट्रेप बाक्स के अस्पताल परिसर से

रवाना होकर वक्त 12-15 पीएम पर पुलिस थाना रोहट पहूंचा। चूंकी अस्पताल परिसर मे स्थित घटना स्थल पुलिस थाना रोहट से कम दूरी पर होने से घटना स्थल से पुलिस थाना रोहट तक पैदल ही आये। पुलिस थाना मे उपस्थित थानाधिकारी से ट्रेप कारवाई से संबंधित अग्रिम कारवाई संपादित करने के लिए अनुमति चाही तो थानाधिकारी ने मौखिक अनुमति देते हुए एक कक्ष उपलब्ध करवाया। तत्पश्चात ट्रेप कारवाई से संबंधित बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धोवन की कारवाई से संबंधित फर्द का टंकण एवं अग्रिम कार्यवाही से संबंधित कारवाई तैयार करना प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा को परिवादी श्री इंसाफ खान से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे मे पुन पूछने पर पूर्व मे बताये हुए तथ्य ही बताये तथा परिवादी श्री इंसाफ खान की गाडी कान्टेक्ट पर बीसीएमओ आफिस मे लगी होने के बारे मे पूछने पर बताया कि इंसाफ की गाडी तीन-चार साल से कान्टेक्ट बेस पर बीसीएमओ कार्यालय रोहट मे लगी हुई है तथा मार्च 2026 को इसकी गाडी का कान्टेक्ट समाप्त हो गया। बीसीएमओ कार्यालय मे गाडी की आवश्यकता होने से गाडी कान्टेक्ट पर लगाने की निविदा प्रक्रिया नही होने से श्री इंसाफ की गाडी को तीन महिने अप्रैल से जून 2026 तक लगातार रखने के लिए बीसीएमओ कार्यालय द्वारा आदेश जारी किये गये है इसकी गाडी करीबन सात आठ दिन पहले एक्सीडेंट हो जाने के कारण कार्यालय उपयोग मे नही आने की सूचना इंसाफ ने दी थी। इसके मार्च के बिल का भुगतान पास कर दिया है लेकिन अप्रैल 2026 से इसकी गाडी का भुगतान बाकी है। तत्पश्चात रिश्वत राशि लेन देन के वक्त डिजिटल वायस रिकार्डर मे रिकार्ड करवाई हुई वार्ता को डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर सुना गया तो लेन देन के वक्त की वार्ता मे रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता होना पाया गया तथा आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित के कहे अनुसार उनके लिए ही लेना मांग सत्यापन वार्ता मे प्रकट हुआ है जिसकी पुष्टि हेतु रिश्वत राशि श्री देवकीनंदन शर्मा द्वारा प्राप्त करने के पश्चात बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित से जरिये वाटसअप काल वार्ता करवाई तो बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित द्वारा आरोपी श्री देवकीनदंन शर्मा को रिश्वत राशि प्राप्ति हेतु सहमति दी इस वार्ता को भी कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्डर मे रिकार्ड करवाया गया था, इस वार्ता व रिश्वत राशि लेन देन के वक्त की वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट प्रथक से तैयार करने का निर्णय लिया जाकर डिजिटल वायस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा। आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि के संबंध मे सह आरोपी बीसीएमओ रोहट श्री हार्दिक राजपुरोहित के संलिप्तता की भूमिका के संबंध मे सह आरोपी श्री हार्दिक राजपुरोहित की दस्तयाबी हेतु श्री किशन सिह उप अधीक्षक पुलिस मय टीम को निर्देशित किया गया था लेकिन सह आरोपी श्री हार्दिक राजपुरोहित बीसीएमओ रोहट जो कि अपने निवास स्थान पाली से रूहपौश होने के कारण दस्तयाबी नही कि जा सकी जिसकी तलाश जारी है। जिसकी दस्तयाबी पश्चात रिश्वत राशि के बारे मे अग्रिम पुछताछ की कारवाई अमल मे लाई जाकर आवश्यक विधिक कारवाई की जावेगी। ततपश्चात आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा को परिवादी श्री इंसाफ खान के गाडी कान्टेक्ट पर लगाने से संबंधित दस्तावेजात के बारे मे पुछने पर बताया कि इसकी पत्रावली कार्यालय मे है तथा कार्यालय की चाबी मेरे पास है। परिवादी श्री इंसाफ खान के गाडी कान्टेक्ट पर लगने से संबंधित मूल ही पत्रावली प्रथक से जरिये फर्द प्राप्त की जायेगी तथा उक्त पत्रावली की आईंदा प्रमाणित प्रति संबंधित अधिकारी से प्राप्त कर शामिल कार्यवाही रखी जावेगी तथा मूल पत्रावली परिवादी के कार्य निष्पादन के क्रम मे पुन लौटाई जावेगी। आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा द्वारा रिश्वत राशि सह आरोपी श्री हार्दिक राजपुरोहित के कहे अनुसार प्राप्त की गई है जिसकी पुष्टि के लिए आरोपी देवकीनंदन शर्मा के मोबाईल से सह आरोपी श्री हार्दिक राजपुरोहित जरिेये वाटसअप काल वार्ता करवाये जाने से आरोपी श्री देवकीनंदन का मोबाईल बतौर वजह सबुत होने से खुली हालत मे ही अनुसंधान के क्रम मे जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी का उक्त मोबाईल मोटोरोला एडज् 50 फयूजन जिसके आईएमईआई नंबर व है तथा इसमे एयरटेल कंपनी की सीम जिसके नंबर है। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से श्री देवकीनंदन शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 48 साल निवासी,गांव डूंडलोद, तहसील नवलगढ जिला झुझूनूं राज हाल लेखासहायक (संविदाकर्मी) बीसीएमओ कार्यालय रोहट जिला पाली राज द्वारा परिवादी इंसाफ खान पुत्र श्री इब्राहिम खान उम्र 42 वर्ष निवासी गांव रोहट जिला पाली के बीसीएमओ कार्यालय रोहट मे लगी गाडी को रेगुलर चलाने के लिए जून माह के किराये की राशि मे से 20,000/-रूपये रिश्वत राशि सह आरोपी बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित के कहे अनुसार मांग करना तथा मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 21-06-2026 को पूर्व तयशुदा रिश्वत राशि 20,000/ रूपये प्राप्त कर गिन कर बीपीएचयू भवन के प्रथम तल पर स्थित बीसीएमओ के कार्यालय कक्ष मे रखी टेबल की उपरी दराज मे रखे जहां से दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद होने से आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा का उक्त क्रत्य रिश्वत राशि प्राप्त करने की मध्यस्थता करना प्रथम द्रष्टया प्रकट होने से आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 48 साल निवासी,गांव डूंडलोद, तहसील नवलगढ जिला झुझूनूं राज हाल लेखासहायक (संविदाकर्मी) बीसीएमओ कार्यालय रोहट जिला पाली राज का उक्त क्रत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 48 साल निवासी,गांव डूंडलोद, तहसील नवलगढ जिला झुझूनूं राज हाल लेखासहायक (संविदाकर्मी) बीसीएमओ कार्यालय रोहट जिला पाली राज को उसके द्वारा किये गये अपराध एवं

गिरफतारी के कारणों से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द प्रथक से गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही किया जावेगा। सह आरोपी बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित द्वारा परिवादी श्री इंसाफ खान की बीसीएमओ कार्यालय रोहट मे कान्टेक्ट पर लगी गाडी को रेगुलर रखने के लिए जून 2026 के किराये की राशि मे से 20,000/-रूपये रिश्वत राशि के रूप मे आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा के माध्यम से मांग करवाना एवं मांग के अनुसरण मे आरोपी देवकीनंदन शर्मा के माध्यम से ही रिश्वत राशि प्राप्त करवाना तथा देवकीनंदन शर्मा द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि के संबंध मे सहमति देने से सह आरोपी श्री हार्दिक राजपुरोहित बीसीएमओ रोहट का उक्त क्रत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से संबंधित फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई कार्यवाही वक्त 05-30 पीएम पर संपादित हुई तथा इस कारवाई की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धोवन पर संबंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया तथा धोवन की कार्यवाही मे उपयोग मे ली गई प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व चम्मच को जलाकर नष्ट करवाया गया। आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा जो कि बीसीएमओ कार्यालय के उपर कार्यालय भवन के खाली पडे कक्ष मे ही अकेला निवास कर रहा है तथा वर्तमान मे बच्चो के ग्रीष्म कालीन अवकाश होने से आरोपी का परिवार रोहट आये हुए है जो आरोपी के अस्थाई निवास कार्यालय के उपरी भवन मे रह रहे है। आरोपी संविदा कर्मी छोटे स्तर का कार्मिक होने से आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा के पास आय से अधिक परिसंपति अर्जित करने की संभावना नही होने के मददेनजर आरोपी के अस्थाई निवास रोहट एवं मूल निवास घर की खाना तलाशी नही लेने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात समय- 05-35 पीएम पर अब तक की ट्रेप कार्यवाही से उजागर हुए साक्ष्यों के विश्लेषण से आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा द्वारा जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाने पर श्री देवकीनंदन शर्मा को उसके जुर्म से आगाह कर विधिक प्रावधानानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी प्रथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई व गिरफतार शुदा आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा के लिए भोजन की व्यवस्था कर भोजन करवाया गया। तत्पश्चात समय- 06-35 पीएम पर फर्द नक्शा मौका रिश्वत राशि लेन देन घटना स्थल एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल तैयार करना शेष होने से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी श्री इंसाफ खान एवं ब्यूरो स्टाफ श्री गोविंद वर्मा को हमराह लेकर पुलिस थाना रोहट से घटना स्थल के लिए रवाना होकर घटना स्थल पर पहूंचा जहां पर परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान की मौजुदगी मे फर्द घटना स्थल नक्शा मौका वक्त 06-40 पीएम पर मुर्तिब तैयार करना प्रारंभ किया गया। नक्शा मौका घटना स्थल तैयार करते समय दिन का समय होने से रोशनी की माकूल व्यवस्था है। फर्द नक्शा मौका तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कारवाई किया गया बाद नक्शा मौका के वक्त् 07-25 पीएम पर घटना स्थल से रवाना शुदा थाना रोहट पर मय हमराहयान के उपस्थित आया। घटना स्थल जो कि पुलिस थाना रोहट से करीब 100 फीट की दूरी पर ही स्थित होने से पैदल ही उपरोक्त हमराहयान के घटना स्थल पर जाकर नक्शा मौका तेयार किया गया। नक्शा मौका के समय गिरफतार शुदा आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा व कारवाई से संबंधित जब्त शुदा समस्त वजह सबूत श्री लक्ष्मण दान एएसआई को सुरक्षार्थ हेतु सुरक्षित संभलाया गया। ततपश्चात समय- 08-15 पीएम पर कारवाई से संबंधित जब्तशुदा समस्त मालखाना वजह सबूत एवं कारवाई से संबंधित संपूर्ण दस्तावेजात श्री भवानी सिह हैड कानि को सुरक्षार्थ संभलाये जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा ब्यूरो स्टाफ श्री लक्ष्मण दान एएसआई श्री प्रमोद सिह कानि एवं दोनो स्वतंत्र गवाह परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेजात प्राप्त करने बीसीएमओ कार्यालय रोहट के लिए रवाना होकर बीसीएमओ कार्यालय पहूंचे तथा आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा ने कार्यालय की चाबी स्वयं के पुत्र से मंगवाई जाकर ताला खोला तथा परिवादी के वाहन को बीसीएमओ कार्यालय रोहट मे कान्टेक्ट पर लगाने से संबंधित पत्रावलियां पेश की जो मूल ही हमराह ली गई तथा इन पत्रावलियों मे से संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित छायाप्रतियां ब्यूरो कार्यालय पाली पहूंच, सीएमएचओ पाली को तलब कर प्राप्त की जायेगी तथा मूल पत्रावलियां परिवादी के कार्य निष्पादन के क्रम मे पून लौटाई जावेगी। तत्पश्चात बीसीएमओ कार्यालय से उपरोक्त हमराहयान के वक्त 08-35 पीएम पर पुलिस थाना रोहट आया। तत्पश्चात समय- 08-40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से संबंधित मौके की संपूर्ण कार्यवाही संपादित की जा चुकी है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाह व गिरफतार शुदा आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा एवं ट्रेप कार्यवाही से संबंधित मुताबिक फर्दात के जब्त शुदा समस्त वजह सबूत एवं कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात व रिश्वत राशि लेन देन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड एवं हमराह लायी गई आवश्यक सामग्री व उपकरण सहित हमराह वाहनों से पुलिस थाना रोहट से कार्यालय हाजा पाली के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री इंसाफ खान को सुबह जल्दी 06-00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पाली उपस्थित आने की हिदायत कर कस्बा रोहट मे ही उसकी सकूनत को रवाना किया गया। ततपश्चात समय- 09-10 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा के उपरोक्त हमराहयान एवं उपरोक्त फिकरा के मालखाना वजह सबूत सहित ब्यूरो कार्यालय पाली पहुंचा तथा गिरफतारशुदा आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने चिकित्साधिकारी के नाम तहरीर एवं सुरक्षा की द्रष्टि से पुलिस थाना कोतवाली के हवालात मे जमा करवाने के लिए थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली के नाम से तहरीर जारी कर श्री गोविंद वर्मा एएसआई व श्री भवानी

सिह हैड कानि एवं कानि चालक श्री नारायण सिह को जरिये सरकारी वाहन बोलेरो के राजकीय बांगड चिकित्सालय पाली व पुलिस थाना कोतवाली पाली के लिये रवाना किया गया। इस कार्यवाही से संबंधित जब्त शुदा छ धोवन की शीशियां, रिश्वत राशि पैकेट, श्विवत राशि बरामदगी स्थल के धोवन की शिशियां व बरामदगी स्थल के धोवन हेतु उपयोग मे लिए गये कपडे की चिंदी का पैकेट, सुरक्षित हालात मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे रखे जो मालखाना प्रभारी श्री भवानी सिह हैड कानि के आने पर संभलाये जाकर जमा मालखाना करवाये जावेंगें। दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुबह जल्दी 06-00 एएम पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने के लिए पाबंद कर रात्री विश्राम के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय- 09-35 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा श्री गोविंद वर्मा एएसआई उपरोकत फिकरा के हमराहयान के गिरफतारशुदा आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा का स्वास्थ्य परिक्षण करवाकर सुरक्षा की द्रष्टि से पुलिस थाना कोतवाली की हवालात मे जमा करवाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर उपस्थित आये। तत्पश्चात समय- 09-40 पीएम पर कारवाई से संबंधित जब्तशुदा छ धोवन की शिशियां, रिश्वत राशि का पैकेट, बरामदगी स्थल के धोवन हेतु उपयोग मे लिये गये कपडे की चिंदी का पैकेट, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल रिकार्डर का पैकेट आदि शील्ड शुदा पैकेट एवं मांग सत्यापन वार्ता के दो डब पैन ड्राईव खुली हालत मे श्री भवानी सिह हैड कानि मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया जाकर मालखाना रजिस्टर मे इंद्राज करवाया गया। तत्पश्चात रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त एवं सहआरोपी से रिश्वत राशि के पुष्टि संबंधी वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शेष होने से इस वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड जो कि मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे है जिसे श्री प्रमोदसिंह कानि0 से कार्यालय के लैपटाप से कनेक्ट करवाया जाकर रिकार्ड वार्ता को कॉपी करवाया गया तथा मूल मैमोरी कार्ड को पुन लैपटाप से निकालकर कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे मे सुरक्षित रखा। तत्पश्चात श्री प्रमोदसिंह कानि0 को निर्देशित किया कि कार्यालय के लेपटौप मे सेव रिकार्ड वार्ता को सुन सुन कर वार्ता के शब्दो का टंकण कम्प्युटर के माध्यम से करे तथा बाद टंकण टंकणिय शब्दों का प्रिंट निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश करे तथा रिकार्ड वार्ता के गोपनीयता की हिदायत की गई। सह आरोपी श्री हार्दिक राजपुरोहित बीसीएमओ रोहट जिला पाली के टैगोर नगर पाली स्थित निवास स्थान की खाना तलाशी उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य टीम प्रभारी श्री किशन सिह उप अधीक्षक पुलिस भ्र नि ब्यूरो जोधपुर शहर द्वारा ली गई थी जिसकी फर्द खाना तलाशी की दो प्रतिया मूल, व खाना तलाशी के दौरान की गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड व एक डिवीडी खुली हालात मे पत्र क्रमांक दस्ती दिनांक 21-06-2026 के संलग्न कार्यालय हाजा पर उपस्थित श्री पूनाराम कानि को सुपुर्द किये गये थे जो श्री पूनाराम कानि ने पेश किये । उक्त खाना तलाशी के संबंध मे आवश्यक अग्रिम कार्यवाही प्रथक से अमल मे लाई जावेगी। तत्पश्चात दिनांक- 22-06-2026 समय- 07-30 एएम पर परिवादी श्री इन्साफ खान व दोनो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय हाजा पर उपस्थित पूर्व के पाबन्दशुदा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। तत्पश्चात समय- 08-00 एएम पर श्री प्रमोदसिंह कानि0 ने निर्देशानुसार रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त एवं सहआरोपी से रिश्वत राशि के पुष्टि संबंधी वार्ता का टंकण कर टंकण की हार्ड कापी का प्रिंट निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टंकणीय शब्दो का मिलान रिकार्ड वार्ता से कर टंकण की साफट कापी लैपटाप मे सेव रखवाई गई तथा वार्ता के टंकणिय शब्दों का मिलान कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त आरोपी व परिवादी के बीच हुई वार्ता एवं सहआरोपी व सह आरोपी के मध्य करवाई गई रिश्वत राशि के पुष्टि संबंधी वार्ता तैयार कि जावेगी। तत्पश्चात समय- 08-30 एएम पर रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त आरोपी व परिवादी के बीच हुई वार्ता एवं आरोपी व सह आरोपी के मध्य करवाई गई रिश्वत राशि के पुष्टि संबंधी वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाना शेष होने से उक्त रिकार्डिंग वार्ता को पूर्व मे शब्द ब शब्द टंकण करवाया जा चुका है, जो कार्यालय हाजा के लेपटाप मे सेव है तथा उक्त वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित है। उक्त वार्ता के टंकणिय शब्दो का मिलान कार्यालय के अन्य लैपटाप से मैमोरी कार्ड को कनेक्ट कर साफटवेयर की मदद से लैपटाप के इनबिल्ड स्पीकर से सुन सुन कर समझ समझ कर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त आरोपी व परिवादी के बीच हुई वार्ता एवं आरोपी व सह आरोपी के मध्य करवाई गई रिश्वत राशि के पुष्टि संबंधी वार्ता मुर्तिब करना प्रारंभ किया गया, जो वक्त 09-30 एएम तक पूर्ण कर फर्द पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। इस वार्ता को दो पैन ड्राईव मे डालकर डब कापी तेयार की गई तथा इस वार्ता की हेस वेल्यु निकाली गई तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त आरोपी व परिवादी के बीच हुई वार्ता एवं आरोपी व सह आरोपी के मध्य करवाई गई रिश्वत राशि के पुष्टि संबंधी वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को लैपटाप से निकालकर प्लास्टिक की डिब्बी मे डालकर कपडे की थैली मे शील्ड किया गया तथा दोनो डब पैन ड्राईव को खुली हालत मे रखा जाकर कब्जा ब्यूरो लिया। तत्पश्चात समय- 09-50 एएम पर ट्रेप कार्यवाही मे हाथ धोवन, बरामदगी रिश्वत राशि एवं बारामदगी स्थल के धोवन की कारवाई की विडियोग्राफी कार्यालय हाजा के विडियो रिकार्डर से करवाई गई थी उक्त विडियो रिकार्डर मे से मूल मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड की हैस वेल्यु निकाली तथा मेमोरी कार्ड के दो डब/ कापी पैन ड्राईव तैयार किये जाकर खुली हालात मे रखा गया तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(4)(सी) के तहत प्रमाण पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी कर शामिल कार्यवाही किया गया। मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी मे डालकर सफेद कपडे की थैली मे

शील्ड किया गया व दो डब/कापी पैन ड्राईव खुली हालात रखे गये। उक्त मूल मैमोरी कार्ड को जरिये फर्द जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया जिसकी फर्द जब्ती अलग से वक्त 10-05 एएम पर मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त आरोपी व परिवादी के बीच हुई वार्ता एवं आरोपी व सहआरोपी के मध्य करवाई गई रिश्वत राशि के पुष्टि संबंधी वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड के शील्डशुदा पैकेट व दो डब पैन ड्राईव खुली हालत एवं विडियो ग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड सीलड शुदा पैकेट एवं इसी विडियो ग्राफी के दो पैन ड्राईव खुली हालात मालखाना प्रभारी श्री भवानी सिह को सुपुर्द किया जाकर जमा मालखाना करवाया जाकर मालखाना के रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया गया। तत्पश्चात समय- 10-30 एएम पर कार्यवाही से संबंधित जब्त किये गये वजह सबूत के पैकेट व शीशियों को शील्ड करने मे प्रयोग मे ली गई पीतल की सील का नमूना फर्द प्रथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय- 11-15 एएम पर संपूर्ण कार्यवाही संपादित हो जाने पर दोनो स्वतंत्र गवाह व परिवादी को अपने अपने सकूनत के लिए रवाना किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से श्री देवकीनंदन शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 48 साल निवासी, गांव डूंडलोद, तहसील नवलगढ जिला झुझूनूं राज हाल लेखासहायक (संविदाकर्मी) बीसीएमओ कार्यालय रोहट जिला पाली राज द्वारा परिवादी इंसाफ खान पुत्र श्री इब्राहिम खान उम्र 42 वर्ष निवासी गांव रोहट जिला पाली के बीसीएमओ कार्यालय रोहट मे लगी गाडी को रेगुलर चलाने के लिए जून माह के किराये की राशि मे से 20,000/-रूपये रिश्वत राशि सह आरोपी बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित के कहे अनुसार मांग करना तथा मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 21-06-2026 को पूर्व तयशुदा रिश्वत राशि 20,000/ रूपये प्राप्त कर गिन कर बीपीएचयू भवन के प्रथम तल पर स्थित बीसीएमओ के कार्यालय कक्ष मे रखी टेबल की उपरी दराज मे रखे जहां से दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद होने से आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा का उक्त कृत्य रिश्वत राशि प्राप्त करने की मध्यस्थता करना प्रथम द्रष्टया प्रकट होने से आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 48 साल निवासी,गांव डूंडलोद, तहसील नवलगढ जिला झुझूनूं राज हाल लेखासहायक (संविदाकर्मी) बीसीएमओ कार्यालय रोहट जिला पाली राज का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा को विधिक प्रक्रिया अनुसार जरिये फर्द प्रथक से गिरफतार किया जा चूका है। सह आरोपी बीसीएमओ श्री हार्दिक राजपुरोहित द्वारा परिवादी श्री इंसाफ खान की बीसीएमओ कार्यालय रोहट मे कान्टेक्ट पर लगी गाडी को रेगुलर रखने के लिए जून 2026 के किराये की राशि मे से 20,000/-रूपये रिश्वत राशि के रूप मे आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा के माध्यम से मांग करवाना एवं मांग के अनुसरण मे आरोपी देवकीनंदन शर्मा के माध्यम से ही रिश्वत राशि प्राप्त करवाना तथा देवकीनंदन शर्मा द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि के संबंध मे सहमति देने से सह आरोपी श्री हार्दिक राजपुरोहित बीसीएमओ रोहट का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस का अपराध कारित करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है तथा सहआरोपी श्री हार्दिक राजपुरोहित बीसीएमओं रोहट जिला पाली जो कि अपनी सकूनत से रूहपोश है तथा पतारसी के दौरान ब्यूरो की अन्य गठित टीम को नही मिले इस कारण उक्त् के खिलाफ आरोपो के संबंध मे पूछताछ नही की जा सकी जिसके मिलने पर पूछताछ व आवश्यक विधिक कारवाई दौराने अनुसंधान अमल मे लाई जावेगी। अत आरोपी श्री देवकीनंदन शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 48 साल निवासी,गांव डूंडलोद, तहसील नवलगढ जिला झुझूनूं राज हाल लेखासहायक (संविदाकर्मी) बीसीएमओ कार्यालय रोहट जिला पाली राज व सहआरोपी श्री हार्दिक राजपुरोहित पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित उम्र 33 वर्ष निवासी गांव भादरलाउ तहसील देसूरी जिला पाली हाल 64ए आदित्य नगर सुमेरपुर रोड पाली हाल बीसीएमओ रोहट जिला पाली के विरूदध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस का अपराध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाये जाने से बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावे। भवदीय (देरावर सिह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली दितीय...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री देरावर सिह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री देवकीनंदन शर्मा पुत्र श्री रामलाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 48 साल निवासी, गांव डूंडलोद, तहसील नवलगढ जिला झुझूनूं राज हाल लेखासहायक (संविदाकर्मी) बीसीएमओ कार्यालय रोहट जिला पाली राज एवं 2- श्री हार्दिक राजपुरोहित पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित उम्र 33 वर्ष निवासी गांव भादरलाउ तहसील देसूरी जिला पाली हाल 64ए आदित्य नगर सुमेरपुर रोड पाली हाल बीसीएमओ रोहट जिला पाली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. जौधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 402 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1008-12 दिनांक 23-6-2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम, पाली 2- मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवायें, जयपुर 3- निदेशक, (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवायें, जयपुर 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जौधपुर 5- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** OM PRAKASH Chodhary **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/06/2026 18:52:11

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1978				
2	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)